कार्यालय नियन्त्रक, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग, सहकार पथ, 22 गोदाम, जयपुर

नाकारा वाहनों एंव सामान की नीलामी की शर्ते

1. नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता द्वारा निम्नानुसार दस्तावेज आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होगे:–

   स्वयं की पहचान के सत्यापन हेतु बिन्दु "क" में अंकित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज तथा स्थाई निवास स्थान के पते के सत्यापन हेतु बिन्दु (क) एवम् (ख) में अंकित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज (जो कि स्वयं की पहचान हेतु प्रस्तुत दस्तावेज से भिन्न हों) की दो सत्यापित छायाप्रतियॉः–

   बिन्दु (क)
   - (i) मतदाता पहचान पत्र।
   - (ii) ड्राईविंग लाईसेन्स।
   - (iii) पासपोर्ट।
   - (iv) पेन कार्ड।
   - (v) आधार कार्ड।

   बिन्दु (ख)
   - (i) बिजली का बिल।
   - (ii) पानी का बिल।
   - (iii) टेलीफोन का बिल।
   - (iv) मूल निवास प्रमाण पत्र।

   (ग) पास पोर्ट साईज के दो नवीनतम फोटो।

   (घ) फर्म/कम्पनी/संस्था की ओर से नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता को इनका पंजीयन प्रमाण–पत्र तथा इनकी ओर से बोली में भाग लेने हेतु अधिकार पत्र की भी दो सत्यापित छायाप्रतियॉ प्रस्तुत करनी होगी।

   उपरोक्त दस्तावेजों के अभाव में नीलामी में भाग नहीं ले सकेंगे।

2. नीलामी स्थल पर प्रत्येक बोली लगाने वाले क्रेता को बोली लगाने से पहले धरोहर राशि निम्नानुसार नकद जमा कराकर उसकी रसीद प्राप्त करनी होगी।

   (अ) दुपहिया वाहनों के लिये प्रति वाहन राशि रू० 5000/ (रूपये पांच हजार मात्र)

   (ब) अन्य वाहनों के लिये प्रति वाहन राशि रू० 10,000/– (रूपये दस हजार मात्र)

   (स) नाकारा मोटर्स पार्ट्स, टायर–टयूब्स एवम् बैट्रीज के अतिरिक्त वाहनो के सम्बद्ध अन्य नाकारा/अप्रचलित/बेशी सामानों के लिये राशि रू० 30000/– (रूपये तीस हजार मात्र)

   (द) नाकारा मोटर पार्ट्स, नाकारा टायर–टयूब्स एवम नाकारा बैट्री के प्रति लाट् के लिये राशि रू० 50000/– (रूपये पचास हजार मात्र)

   (य) स्क्रेप क्रेन के लिये – रू० 1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र)

   (र) विभाग द्वारा उपयोग में लिये गये फर्नीचर, उपकरण एवम् अन्य अनुपयोगी सामान के लिये राशि रू० 5000/–

3. असफल बोली लगाने वालों को उक्त धरोहर राशि नीलामी समाप्त होने के बाद या बोली लगाने वाला बोली में भाग लेने का इच्छुक नही होने पर जब इसे वापस लेना चाहे, लौटा दी जावेगी। सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति के मामले में धरोहर राशि उसके द्वारा वाहन या सामान के विक्रय मूल्य जमा कराते समय समायोजित कर ली जावेगी।

4. एक बार बोली समाप्त होने के बाद वाहनों के मैक, इंजन नम्बर, चैसीस नम्बर और मॉडल के संबंध में या सामान के बारे में कोई शिकायत विचारार्थ स्वीकार नहीं की जावेगी और ना ही बोली लगाने वाला अपनी बोली वापस ले सकेगा। प्रत्येक बोली लगाने वाले के लिए यह समझा जावेगा कि उसने वस्तुओं/वाहन का निरीक्षण कर लिया है और वह नीलामी की शर्तो को मानने के लिए बाध्य है।

5. वाहनों एवं सामान की नीलामी "जैसी है जहाँ है" के आधार पर की जावेगी अतः बोली लगाने वाले से यह अपेक्षा की जाती है कि बोली से पूर्व वाहन व सामान का पूरा निरीक्षण कर ले तथा वाहन अथवा सामान के विवरण के बारे में अपने आप को सन्तुष्ट कर लें।
6. सबसे ऊँची बोली स्वीकार किये जाने पर विक्रय राशि (नीलामी राशि एवम् देय कर) की एक चौथाई राशि वाहन नीलामी के अगले दिन तक नीलामी स्थल पर ही नियन्त्रक, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग, जयपुर के पक्ष में देय बैक ड्राफ्ट या पे आर्डर द्वारा जमा कराई जावेगी। नीलामी दिनांक के अगले दिन तक राशि जमा नहीं कराने पर जमा करवाई गई धरोहर राशि जब्त करली जावेगी।
7. सबसे ऊँची बोली स्वीकार किये जाने पर विक्रय राशि (नीलामी राशि एवम् देय कर) की तीन चौथाई राशि नियन्त्रक, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग, जयपुर को देय बैंक ड्राफ्ट या पे आर्डर के द्वारा ही नीलामी दिनांक से आगामी दो दिन तक जमा करानी होगी। नीलामी दिनांक से आगामी दो दिन की अवधि के बाद राशि जमा करानें पर नीलामी दिनांक से जमा कराने के दिनांक तक 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज सहित राशि जमा करानी होगी। यह रियायत नीलामी दिनांक से 30 दिन तक रहेगी। जिसमें नीलामी का दिनांक भी शामिल है। उसके पश्चात चौथाई राशि जब्त करली जावेगी।
8. सपुर्दगी:– नीलामी छूटने के बाद वाहन/सामान नीलामी के दिन से तीन दिन के अन्दर हटाना आवश्यक है। जिसमें नीलामी का दिन भी शामिल है। ऐसा नहीं करने पर ब्याज के अतिरिक्त उसे नीलामी दिनांक से वाहन उठाने के दिनाक तक रू० 50/– प्रतिदिन की दर से एवं सामान के लिए रू० 500/– प्रतिदिन की दर से जमीन किराये की वसूली की जावेगी।
9. वाहनों या सामान के नीलामी के पश्चात उसमें किसी नुकसान या कमी के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। प्रत्येक बोली लगाने वाले व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि पूर्ण विक्रय राशि बैक ड्राफ्ट या पे आर्डर द्वारा तुरन्त जमा करवाकर वाहन और सामान को तत्काल उठवा लें।
10. सबसे ऊंची बोली स्वीकार किये जाने पर नीलामी राशि के अतिरिक्त सफल बोली लगाने वाले के द्वारा वाहनों/सामानों के नीलामी राशि के साथ साथ सरकार द्वारा निर्धारित दर से वेट (VAT) एवं सरकार द्वारा राज्य में लागू अन्य करो एवम् शुल्को का भुगतान भी करना होगा।
11. यदि कोई बोली लगाने वाला अपनी धरोहर राशि विक्रय राशि में समायोजित कराना चाहता हैं तो वह उसके बाद बोली लगाने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह नई धरोहर राशि जमा न करवा दें।
12. कोई विभागीय कर्मचारी बोली नहीं लगा सकेगा।
13. बिना कारण बोली स्वीकार करनें, अस्वीकार करनें, बोली को स्थगित/निरस्त करने का नीलामी समिति को पूर्ण अधिकार होगा।
14. इन शर्तो के संबंध में किसी भी शक का समाधान, एवं खुलासा व्यवस्था के लिए नीलामी समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
15. क्रेता वाहनों की डिलीवरी लेने से पूर्व रजिस्ट्रेशन से इन्जन नम्बर/चैसिस नं./मैक/मॉडल आदि चैंक कर लेवे। डिलीवरी लेने के पश्चात इस संबंध में विभाग उत्तरदायी नहीं होगा और किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
16. वाहन नीलामी के पश्चात वाहन निश्चित अवधि में परिवहन विभाग में ट्रान्सफर करवाने की समस्त जिम्मेदारी क्रेता की होगी तथा सभी तरह के ट्रान्सफर चार्जेज का भुगतान क्रेता द्वारा ही परिवहन विभाग में जमा करानें होगे। वाहन के स्थानान्तरण में आने वाली बाधा/कठिनाई डाक्यूमेंट में कमी, मूल दस्तावेज खो जाने/नष्ट हो जाने इत्यादि किसी भी समस्या के संबंध में निश्चित अवधि एक माह व्यतीत हो जाने के बाद विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। वाहन का परिवहन विभाग से स्थानान्तरण करवाने के पश्चात् स्थानान्तरित पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति मोटर गैराज विभाग को एक माह की समयावधि में प्रस्तुत करनी होगी।
17. न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।

08-02-2016
नियन्त्रक